

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
निर्णय दिनांक :- 30/01/2024

मिशल संख्या:- 140/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. रामगोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा साकिन ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह
जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

तहसीलदार देवली

उपस्थिति :- श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 220 खसरा नम्बर 874/551 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व के सीमाज्ञान चिन्ह मिट चूके हैं, इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजीयात भूमि में पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त आराजीयात भूमि के आस पास वर्तमान में कोई फसल नहीं है सभी फसले कट चूकी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात भूमि को जरिए पत्थरगढी नपवाना चाहता है, जिसके लिए राजकोष में नियमानुसार राशि जमा कराने को भी तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काशत की है किसी अन्य खातेदार का कब्जा काशत नहीं है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं होना बताया है। उक्त भूमि के सम्बंध में किसी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है।




उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2072-75 में अंकित खाता संख्या 220 खसरा नम्बर 874/551 रकबा 0.14 है० वाके ग्राम खेडा गांवडी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार वाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली